

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233910
SG-DL-E-04032022-233910

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 481
No. 121]	DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943	[N. C. T. D. No. 481

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय: स्थापना -1 शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मार्च, 2022

फा.स. DE.1(49)/357/RRs/Amendment/Drivers/2018/1544.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० फा० 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं० फा० डीई१(४४) (८)/ई-१/९४/१०३९७ दिनांक २८.०६.१९९५ एवं अधिसूचना सं. फा. डीई१(४९) (८)/९४/ ई-१/३४३५-३४४२ दिनांक १९.०२.२००२ के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने वाले के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेड- II) के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने वाले विद्यमान नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्

संशोधन

1.

(क) "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" से संबंधित कॉलम सं० ४ के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -४ (25500 -81100/-रुपये)

- (ख) "परिवीक्षा की अवधि" से संबंधित कॉलम सं० 9 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

लागू नहीं

- (ग) "यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है " से संबंधित कॉलम सं० 11 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

पदोन्नति :

ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2, (19900-63200/-रुपये) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा बशर्ते कि परिवहन विभाग द्वारा संचालित उपयुक्त मानक की ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

- (घ) "यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है" से संबंधित कॉलम सं० 12 के समक्ष प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

समूह "ग" पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति:

- | | |
|--|----------|
| 1. विशेष सचिव , शिक्षा निदेशालय (वित्त) | —अध्यक्ष |
| 2. उप लेखा नियंत्रक , शिक्षा निदेशालय, रा०रा०क्ष०दि०स० | —सदस्य |
| 3. उप निदेशक, शिक्षा (जीओसी) रा०रा०क्ष०दि०स० | —सदस्य |
| 4. उप निदेशक, शिक्षा (ई - III) रा०रा०क्ष०दि०स० | —सदस्य |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

रामचन्द्र महादेव शिंगारे, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION: ESTABLISHMENT-I BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd March, 2022

F. No. DE.1(49)/357/RRs/Amendment/Drivers/2018/1544.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, and in supersession of Notification No. DE.1 (44)(8)/E-I/94/10397 dated 28.06.1995 and notification No. DE 1 (49)/8/94/E-I/3435-3442 dated 19.02.2002 except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following amendments in existing rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Grade-II) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

Amendments

1.

- (a) for entries against Column no. 4 relating to "Level in the pay matrix", the following entries shall be substituted, namely:-

Level-4 (Rs. 25500-81100) in the Pay Matrix

- (b) for entries against Column no. 9, relating to "Period of probation", the following entries shall be substituted, namely:-

Not applicable.

- © for entries against Column no. 11, relating to "in case of recruitment by promotion/Deputation/Absorption, grades from-which promotion/Deputation/ Absorption to be made", the following entries shall be substituted, namely:-

Promotion :

Staff Car Drivers (Ordinary Grade) in **Level-2** (Rs.19900-63200) of Pay Matrix having nine years of regular service in the grade and subject to passing a Trade Test of appropriate standard to be conducted by Transport Department.

- (d) for entries against Column no. **12**, relating to “If a DPC exists, what is its composition”, the following entries shall be substituted, namely:-

Group ‘C’ DPC for considering promotion:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Special DE (Finance), Govt. of NCT of Delhi | - Chairman. |
| 2. DCA, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi | - Member. |
| 3. Deputy Director of Education (GOC), Govt. of NCT of Delhi | - Member. |
| 4. Deputy Director of Education (E-III), Govt. of NCT of Delhi | - Member. |

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAMCHANDRA MAHADEV SHINGARE, Jt. Secy.